

15.03.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2017 / 00013

अपील संख्या 9 / 17 (225 आर.टी.ए.एक्ट)

उनवान:-भूरिया बनाम सोहनलाल

पुनश्च: रेस्पो वकील ने जाहिर किया कि मूल वाद का निर्णय हो चुका है। अतः अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांत प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official